

रेरा का शिकंजा • रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई के साथ जुर्माना लगेगा एक दर्जन से ज्यादा अपार्टमेंट रेरा से रजिस्टर्ड नहीं, सर्वे में चिह्नित

सिटी रिपोर्टर/मुजफ्फरपुर

मुजफ्फरपुर में करीब 100 प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड

मुजफ्फरपुर में रियल एस्टेट सेक्टर पर अब रेरा (रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण) का शिकंजा कसने लगा है। सेटेलाइट इमेज और प्रारंभिक सर्वे के आधार पर शहर व आसपास के क्षेत्रों में एक दर्जन से अधिक ऐसे अपार्टमेंट व बड़े निर्माण प्रोजेक्ट चिह्नित किए गए हैं, जिनका रेरा में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया है। शनिवार को रेरा के सचिव अनिमेष पांडेय अपनी टीम के साथ मुजफ्फरपुर पहुंचे और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक के बाद सीधे ग्राउंड पर जांच शुरू कर दी। टीम ने मुजफ्फरपुर- कांटी रोड, मुजफ्फरपुर- तुर्की रोड और मड़वन- पोखरौला रोड क्षेत्र में जाकर निर्माणाधीन परियोजनाओं का जायजा लिया। रविवार को भी टीम संबंधित अंचलाधिकारियों व राजस्व कर्मियों के साथ मौके पर पहुंच कर जांच करेगी। जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई और जुर्माना लगाया जाएगा। रेरा की कार्रवाई दो चरणों में चल रही है। पहले सेटेलाइट इमेज के जरिए बड़े निर्माण और अपार्टमेंट परियोजनाओं की पहचान की गई। इसके बाद अब टीम जमीन पर पहुंच कर वास्तविक स्थिति का सत्यापन कर रही है। जांच के दौरान खाता-खेसरा, जमीन के रिकॉर्ड और निर्माण क्षेत्र का मिलान किया जा रहा है। रेरा अधिकारियों का कहना है कि जहां भी शहरी विकास तेजी से हो रहा है, वहां देखा जा रहा है कि रेरा कानून का पालन हो रहा है या नहीं। रेरा नियमों के अनुसार 500 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्र में होने वाले निर्माण या आठ से ज्यादा फ्लैट वाले किसी भी आवासीय प्रोजेक्ट का रेरा में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। इसके अलावा निर्माण स्थल पर रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर और व्यूआर कोड प्रदर्शित करना भी जरूरी है। रेरा सचिव ने स्पष्ट किया कि परियोजना स्थल पर रजिस्ट्रेशन संबंधी जानकारी सार्वजनिक नहीं करने पर भी कार्रवाई होगी।



अधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, शहर व आसपास करीब 100 बिल्डर या परियोजनाएं रेरा में पंजीकृत हैं। इसके अलावा ऐसे निर्माण भी हैं, जिनकी वैधानिक स्थिति की जांच की जा रही है। रेरा टीम का फोकस ऐसे प्रोजेक्टों पर है, जो नियमों के दायरे में आने के बावजूद पंजीकरण से बाहर हैं। बैठक में डीडीसी अनुपम श्रेष्ठ सहित जिले के प्रशासनिक अधिकारी और सभी संबंधित अंचलाधिकारी मौजूद रहे। चार जिलों में सर्वे और जांच के बाद रेरा नियमों के उल्लंघन पर बिल्डरों के खिलाफ जुर्माना और अन्य कार्रवाई की जा चुकी है। अब यह अभियान मुजफ्फरपुर में शुरू किया गया है।

खरीदारों का कानूनी सुरक्षा कवच है रेरा

रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (रेरा) का उद्देश्य केवल बिल्डरों की निगरानी करना नहीं, बल्कि फ्लैट खरीदारों और निवेशकों के हितों की रक्षा करना भी है। रजिस्ट्रेशन के बाद परियोजना की पूरी जानकारी सार्वजनिक होती है, निर्माण की समय-सीमा तय रहती है और किसी विवाद की स्थिति में खरीदार रेरा में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इससे प्रोजेक्ट में पारदर्शिता बढ़ती है और खरीदारों को कानूनी सुरक्षा मिलती है।

रोक सूची की जमीनों की समीक्षा के लिए 3 व 10 जून को बैठक

मुजफ्फरपुर | मुजफ्फरपुर में जमीनों को रोक सूची में शामिल किए जाने से लोगों की परेशानी लगातार बढ़ रही है। जमीन की खरीद-बिक्री, दाखिल-खारिज व निबंधन कार्य प्रभावित होने से बड़ी संख्या में शिकायतें जिला प्रशासन तक पहुंच रही हैं। अब इन शिकायतों के समाधान के लिए प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है। इसके लिए जिला निबंधन कार्यालय ने कलेक्ट्रेट में 3 जून और 10 जून 2026 को रोक सूची से संबंधित मामलों की समीक्षा बैठक बुलाई गई है। बैठक अपर समाहर्ता राजस्व के कार्यालय प्रकोष्ठ

में दोपहर 3 बजे से होगी। इसमें जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, जिला अवर निबंधक, भूमि सुधार उप समाहर्ता, अवर समाहर्ता, सरकारी अधिवक्ता व संबंधित अंचल अधिकारी शामिल रहेंगे। बैठक में उन जमीनों की समीक्षा होगी, जिन्हें विभिन्न कारणों से रोक सूची में डाला गया है। संबंधित अंचलों के राजस्व कर्मचारी और अंचल अमीन को भी अपडेट रिपोर्ट के साथ उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है। प्रशासन का उद्देश्य लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन कर आम लोगों को राहत देना है।